न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 477/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

1. पवन कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. कुलदीप कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. हंसराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. द्रोपति पुत्री श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुमन पुत्री श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 29.8.2024

वादी पवन कुमार ने प्रतिवादीगण हंसराज वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 व 3 वादीगण की बहिने है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.012 है. कृषि भूमि तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.771 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादीगण के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया क्योकि प्रतिवादीया सं. 2 व 3 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है, जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। इसलिये प्रतिवादी सं. 2 व 3 अब उक्त भूमि में कोई हित [illegible] नही रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को घरू तौर पर बं[illegible] प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :–

(क) वादी पवन कुमार पुत्र श्री हंसराज समस्त जा[illegible] जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) को हक व [illegible] की कृषि भूमि का विवरण :–
तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खा[illegible] सं. 127/50 जमाब[illegible] सम्वत् 2071–74 में 1.012 है. कृषि भूमि

लगातार ––2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:55:07 IST
Reason: SelfAttested

(ख) वादी सं. 2 कुलदीप कुमार पुत्र श्री हंसराज समस्त जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.759 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 हंसराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.012 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 तथा तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 27/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.012 है. कृषि भूमि तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही [illegible]। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना [illegible] होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 127/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.012 है.

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:55:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

कृषि भूमि का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1.771 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:55:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 477/2024

पवन कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
कुलदीप कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

हंसराज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
द्रोपति पुत्री श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सुमन पुत्री श्री हंसराज जाति जाट निवासी अमरपुरा जालू निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 29.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 एम.जे.डी. के खाता सं. 127/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.012 है. कृषि भूमि का वादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 13 एम.जे.डी. के खाता सं. 121/3 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 1.771 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :– यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X....निल ....X.... बाबत् ....X.....
निल....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत आज दिनांक 29.08.2024 को जारी किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:55:07
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया